टी0ए0 मिस केस सं0 117/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
10-02-2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **सुरसिंह देवगम**, पिता/पति–**स्व० लादु देवगम**, ग्राम–**पुराना चाईबासा**, थाना–**मुफ्फसिल**, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने **मौजा–खप्परसाई**, **थाना नं०–109, खाता नं०–71, प्लॉट नं०–621, रकवा– 0.15 एकड़** भूमि बंधक लेने वाले **केनरा बैंक चाईबासा**, थाना– **सदर** से ऋण प्राप्त करने हेतु बंधक रखने की अनुमति की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ग) परन्तुक के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बंधक की अनुमति हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। बंधककर्ता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक स्वयं के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं०–316/2019-20 के द्वारा नामान्तारित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।** अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 1201,दिनांक–03.12.2020 द्वारा प्राप्त दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बैंक से ऋण लेकर घर का विस्तार करने के कारण भू–खण्ड को बंधक **केनरा बैंक चाईबासा**, थाना– **सदर** में बन्धक करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा खप्परसाई में निवास करते हैं। ग्रामीण मुण्डा का बंधक करने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। आवेदक को इस शर्ते पर अनुमति दी जाती है कि भविष्य में बैंक या अपने रिश्तेदार के द्वारा धोखाधड़ी होता है, तो इसकी सारी जवाबदेही आवेदक श्री सुरसिंह देवगम, पिता– स्व० लादु देवगम निवासी–पुराना चाईबासा थाना–मुफ्फसिल की होगी। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के प्रतिवेदनानुसार आवेदक **सुरसिंह देवगम**, पिता/पति–**स्व० लादु देवगम**, ग्राम–**पुराना चाईबासा**, थाना–**मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का आवेदित भू–खण्ड लेने वाले बंधककर्ता **केनरा बैंक चाईबासा**, थाना– **सदर** के पास **मौजा–खप्परसाई, थाना नं०–109, खाता नं०–71, प्लॉट नं०–621, रकवा– 0.15 एकड़** जमीन को बंधक रखने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ग) परन्तुक के अन्तर्गत बंधक रखने की अनुमति दी जाती है। लेखापित 1/2 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 10/2/2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

//D:/Ranjeet All Work:// 1 TA MISS ORDER

Scanned with CamScanner